

05.09.2017

निगरानीकर्ता द्वारा अधि. श्री एस.एस. श्रीवास्तव  
उपस्थित।

प्रतिनिगरानीकर्ता निर्वाह अंतर्गत।

निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर  
प्रस्तुत निगरानी पर बल न देना व्यक्त किया। अतः  
निगरानीकर्ता अधिवक्ता की ओर से बल न देने से यह  
निगरानी निरस्त की जाती है।

परिणाम अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल  
अभिलेखागार हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद